

पत्रांक : BRUPS-LSBA/Estt/53/17/251

दिनांक : 02.07.18

कार्यालय आदेश

ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 330769 दिनांक 3.10.2017 के आलोक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अन्तर्गत पूर्व से कार्यरत (PHED अन्तर्गत) कर्मियों के साथ अधिकारिक तौर पर अनुबंध का एकरारनामा एवं नवीकरण उनके Performance Appraisal के आधार पर किया जाना है।

उक्त के आलोक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के पत्रांक BRLPS/LSBA-Estt./53/17/744 दिनांक 08.03.2018 के माध्यम से नौ जिला समन्वयकों का एकरारनामा का अवधि विस्तार 01.06.2016 से 31.05.2018 तक किया गया था।

पुनः कार्यरत जिला समन्वयकों का त्रैमासिक कार्य की समीक्षा की गयी है, समीक्षोपरांत कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया। उक्त सभी जिला समन्वयकों को चेतावनी के साथ एकरारनामा का अवधि विस्तार निम्नवत किया जाता है :

क्र. स.	नाम	वर्तमान पदस्थापन	एकरारनामा अवधि विस्तार
1.	राकेश रंजन	मधेपुरी (सम्प्रति मधुबनी) ↔	31.05.2018 से 31.12.2018 तक
2.	हेमंत प्रसाद	नवादा	
3.	रोहन कुमार सिंह	अररिया	
4.	अरविन्द कुमार ठाकुर	कैमूर	
5.	विनोद कुमार	भागलपुर	
6.	ऋषि कुमार	बांका	
7.	अविनाश कुमार सिन्हा	वैशाली	
8.	निलेस सिंह	अरवल (सम्प्रति शिवहर)	

उपरोक्त को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के HR Manual के अनुसार Experience Incentive देय नहीं होगा।

आदेशानुसार


(राजीव कुमार सिंह)

राज्य समन्वयक - सह - प्रशासी पदाधिकारी

ज्ञापांक : BRUPS-LSBA/Estt/53/17/251

दिनांक : 02.07.18

प्रतिलिपि : सभी सम्बन्धित जिला समन्वयक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी सम्बन्धित उप विकास आयुक्त सह उपाध्यक्ष/निदेशक DRDA-सह-सचिव, जिला जल स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी सम्बन्धित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


(राजीव कुमार सिंह)